श्री चन्दौसी

न्यायालय उप जिलाधिकारी

वाद संख्या–21 / 11 धारा 143 ज0वि0एंव0भू0व्यय0अधि0

ग्राम– अकरौली परगना व तहसील चन्दौसी जिला मुरादाबाद

सरकार बनाम सोनल एजूकेशनल सोसायटी

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सोनल एजूकेशन सोसायटी, सोनई तहसील मोट जिला मथुरा द्वारा पवन कुमार शर्मा उप प्रबन्धक पुत्र श्री महाववीर प्रसाद शर्मा नि0 सी0 21 रामगंगा विहार मुरादाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ग्राम अकरौली गाटा संख्या 1116 रकवा 0.721 लगान 27.40रू0 के 4/5 भाग की भूमि को उ0प्र0जमी0अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चन्दौसी से जांच आख्या मांगी गयी। तहसीलदार चन्दौसी ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12.01.2011 के अनुसार ग्राम अकरौली के गाटा संख्या 1116 रकवा 0.721 हे0 में से 0.576हे0 लगान 21.92 रू0 को धारा 143 ज0वि0एंव0भू0व्यय0अधि0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित की है। उपरोक्त वाद तहसीलदार, चन्दौसी की जांच आख्या दिनांक 12.01.2011 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तहसील चन्दौसी स्थित ग्राम अकरौली के गाटा संख्या 1116 रकवा 0.721हे0 में से 0.576हे0 लगान 21.92 रू0 को आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर आवादी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार, चन्दौसी की संस्तुति दिनांक 12.01.2011 के आधार पर तहसील चन्दौसी स्थित ग्राम अकरौली के गाटा संख्या 1116 रकवा 0.721हे0 में से 0.576हे0 लगान 21.92रू0 को आवादी घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

उप जिलाधिकारी
चन्दौसी, मुरादाबाद

दिनांकः–04–02–2011

आज दिनांक 04–02–2011 को यह आदेश/निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एंव उदघोषित किया गया।

उप जिलाधिकारी
चन्दौसी, मुरादाबाद

दिनांकः–04–02–2011

आवेदन पत्र की क्रम संख्या 1196
... 06-5-16
राजेश कुमार
13
07-5-16
जारी ... 07-5-16

सत्य प्रतिलिपि
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner